कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

क्रमांकः 14 / राजस्व / 2017 / 26   दिनांकः 09.01.2017

निदेशक,
नागरिक विमानन निदेशालय,
राजस्थान जयपुर।

विषयः– कोलाना हवाई पट्टी झालावाड़ के विस्तार हेतु आवंटन के क्रम में।
प्रसंगः–आपका पत्रांक प.5(10)नाविनि / 2015 / 5196 दिनांक 06.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि भूमि अवाप्ति के बिना कोलाना, झालावाड़ हवाई पट्टी के विस्तार का कार्य सम्भव नहीं है। निजी खातेदारी की 23.91 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति हेतु सम्बन्धित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है। प्रारम्भिक अवस्था में भूमि अवाप्ति के मुआवजे की राशि 1187.00 लाख रूपये तथा इस भूमि में आ रहें निर्माण व पेड़ों के मुआवजे की राशि 400.00 लाख रूपये का भुगतान चालु वित्तीय वर्ष 2016–17 में ही किया जाना है। इसके अतिरिक्त हाई टेन्शन टावर्स (HT Pylons) की शिफ्टिंग के कार्य हेतु राशि 1691.00 लाख रूपये, विद्युत लाईन की शिफ्टिंग जी.एस.एस. सहित के कार्य हेतु राशि 500.00 लाख रूपये तथा वन भूमि के प्रत्यावृतन हेतु चालु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि 200.00 लाख रूपये का भुगतान किया जाना है।

वित्त विभाग की सलाह के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना के कार्य का पुनः आंकलन कर लिया गया है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में परियोजना वर्ष 2018–19 तक पूर्ण होना सम्भावित है। इस सम्बन्ध में वर्ष वार वित्तीय आवश्यकता व कार्यों में लगने वाले समय की सूचना मय संशोधित तकमीना संलग्न कर प्रेषित है।

अतः प्रकरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र जारी करवाने का श्रम करें ताकि हवाई पट्टी के विस्तार से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करवाये जा सकें।

भवदीय

जिला कलक्टर
झालावाड़

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सा0 नि0 वि0 वृत झालावाड़

क्रमांकः 5247 दिनांकः 9.1.17

श्रीमान जिला कलक्टर,
झालावाड़

विषयः— कोलाना (झालावाड़) हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास के क्रम में।
प्रसंगः— श्रीमान निदेशक, नागरिक विमानन निदेशालय, राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.5(10)नाविनि / 2015 / 5196 दिनांक 06.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि भूमि अवाप्ति के बिना कोलाना, झालावाड़ हवाई पट्टी के विस्तार का कार्य सम्भव नहीं है। निजी खातेदारी की 23.91 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति हेतु सम्बन्धित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है। प्रारम्भिक अवस्था में भूमि अवाप्ति के मुआवजे की राशि 1187.00 लाख रूपये तथा इस भूमि में आ रहें निर्माण व पेड़ों के मुआवजे की राशि 400.00 लाख रूपये का भुगतान चालु वित्तीय वर्ष 2016—17 में ही किया जाना है। इसके अतिरिक्त हाई टेन्शन टावर्स (HT Pylons) की शिफ्टिंग के कार्य हेतु राशि 1691.00 लाख रूपये, विद्युत लाईन की शिफ्टिंग जी.एस.एस. सहित के कार्य हेतु राशि 500.00 लाख रूपये तथा वन भूमि के प्रत्यावृतन हेतु चालु वित्तीय वर्ष 2016—17 में राशि 200.00 लाख रूपये का भुगतान किया जाना है।

आपके निर्देशानुसार सम्पूर्ण परियोजना का पुनः आंकलन कर लिया गया है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में उक्त परियोजना वर्ष 2018—19 तक पूर्ण होना सम्भावित है। इस सम्बन्ध में वर्ष वार वित्तीय आवश्यकता व कार्यों में लगने वाले समय की सूचना मय संशोधित तकमीना के संलग्न कर प्रेषित है।

अतः कृपया प्रकरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र जारी करवाये जाने का श्रम करें ताकि हवाई पट्टी के विस्तार से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करवाये जा सकें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

भवदीय
(आर.एस.झंवर) 9/1/17
अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत्त झालावाड़

क्रमांकः दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत / प्रेषित हैः—

1. श्रीमान मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि. संभाग कोटा
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़।

अधीक्षण अभियन्ता 9/1/17
सा.नि.वि. वृत्त झालावाड़